


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक D/974 / आदेश / / जबलपुर, दिनांक 22/02/2023

श्री गणेश बहादुर थापा, सेवानिवृत्त सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी-3-12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 के कंडिका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट के रिक्त पद के विरुद्ध 06 माह की अल्प अवधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर संविदा नियुक्ति प्रदान करते हुए जजेस गेस्ट हॉउस भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

1. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
2. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
4. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
6. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
7. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.03.2023 तक अपना पदभार ग्रहण कर लेवे। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।


(रामकुमार चौबे)
§ रजिस्ट्रार जनरल

//2//

पृष्ठांकन क्रमांक.....D/975...../

जबलपुर, दिनांक ११ /०२/ 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
 3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
 4. रजिस्ट्रार, प्रशासन/ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 5. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
 6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
 7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.),..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. डिप्टी रजिस्ट्रार, (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
 12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 13. श्री गणेश बहादुर थापा, सेवानिवृत्त सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


21/2/23
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)